न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन नम्बर :– 67 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 229

अनवान

1. गंगादेवी पत्नि गोपीलाल बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. घीसीदेवी पत्नि बरदीचन्द बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. चान्दीदेवी पत्नि गिरधारी बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. धर्मा पुत्र बरदीचन्द बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बख्तावर पुत्र गोपी बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मूलाराम पुत्र गोपी बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मोहन पुत्र रूपा बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रतन पुत्र गिरधारी बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. उदयराम पुत्र छोगा बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कंवरी पुत्री गणेश बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायणलाल पुत्र गोकल बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. चम्पा पुत्र गणेश बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. चान्दीदेवी पत्नि गिरधारी बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. ज्ञानी पुत्री राजु बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. पनी पुत्री राजु बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. प्रेमचन्द पिता भजा बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भैरा पुत्र छोगा बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मदन पुत्र गणेश बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मांगी पत्नि कस्तुर बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. कमलेश गोदपुत्र मोहन बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. रूकमण पुत्री गणेश बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. रतन पुत्र गिरधारी बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. रोशन पुत्र कस्तुर बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. सुखलाल पुत्र राजु बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. सुखी पुत्री गणेश बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. सुशीला पुत्री कस्तुर बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. सायरी पुत्री गणेश बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. सोसी पत्नि राजु बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21. कमली पुत्री मांगीलाल बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22. खेमी पत्नि भजा बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23. गेहरी पुत्री भजा बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24. गोरधन पुत्र मांगीलाल बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25. चुन्नीलाल पुत्र गणेश बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
26. प्रेमलाल पुत्र भजा बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

उपस्थित

1. पूनमनाथ सपेरा –प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. अमरसिंह चारण–विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 24, 25
3. विपक्षी संख्या 2, 5 से 7, 11 से 14, 17 से 23, 26, 27 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः–25.11.2024

1. संक्षिप्त मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम रामा पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के खेत आराजी संख्या 1321 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 1322 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 81 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 01.06.2024 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।
2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता श्री अमर सिंह चारण द्वारा विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 24, 25 की तरफ से वकालातनाम पेश किया तथा इनके द्वारा द्वारा पर्याप्त समय एवं अवसर पर जवाब पेश नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया। विपक्षी संख्या 2, 5 से 7, 11 से 14, 17 से 23, 26, 27 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम रामा पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के की खेत आराजी संख्या 1321 रकबा 0. 01 है0, आराजी संख्या 1322 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 81 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।
4. हमने विद्वान अधिवक्ता की की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्वावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम रामा पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के की खेत आराजी संख्या 1321 रकबा 0. 01 है0, आराजी संख्या 1322 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 भूमि

5. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है, जिसके अनुसार :–

धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबुत उपलब्ध नही है, जिससे साबित होता हो कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की सीमाओं को लेकर कोई विवाद हों। चूंकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128(1) के अनुसरण में सीमा से सम्बधित निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते है।

6. उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुॅचा है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवानें हेतु तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन करने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायासंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण के सीमाज्ञान हेतु आवेदन पेश करने पर ग्राम रामा पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के की खेत आराजी संख्या 1321 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 1322 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है। वक्त कार्यवाही सम्बंधित खातेदारो के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जाए तथा स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिला दफ्तर हों।

(राजेश कुमार)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी